उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य	: रु0 7,93,774/-
बाजार मूल्य	: रु0 3,60,000/-
स्टाम्प शुल्क	: रु0 39,200/-
प्रतिफल	: बिक्रीनामा

यह विक्रय निर्णय श्रीकृष्ण पुत्र रघुनाथ निवासी- मुजफ्फर नगर पुरावल, पटगना बिजनौर तहसील व जिला

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

लखनऊ जिसके आगे विक्रेतागण यदा गया है, एवम् आशापाल पुत्र अली निवासी–ग्राम मीरापुर, तहसील, पोस्ट–नगीना, जिला फतेहपुर, जिसे आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निम्नलिखित किया जाता।

यह कि विक्रेतागण भूमि खसरा 238 कुल रकबा 0.382 हेक्टेयर स्थित ग्राम मुजफ्फर नगर पुरावल, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ मालिक, काबिज व कब्जा है तथा अपरोक्त सत्यापित अद्यतनिक खाता खतौनी क्रम संख्या 210 के अनुसार विक्रेतागण के नाम का आगत दरामद राजस्व अभिलेखों में हो रहा है। विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस

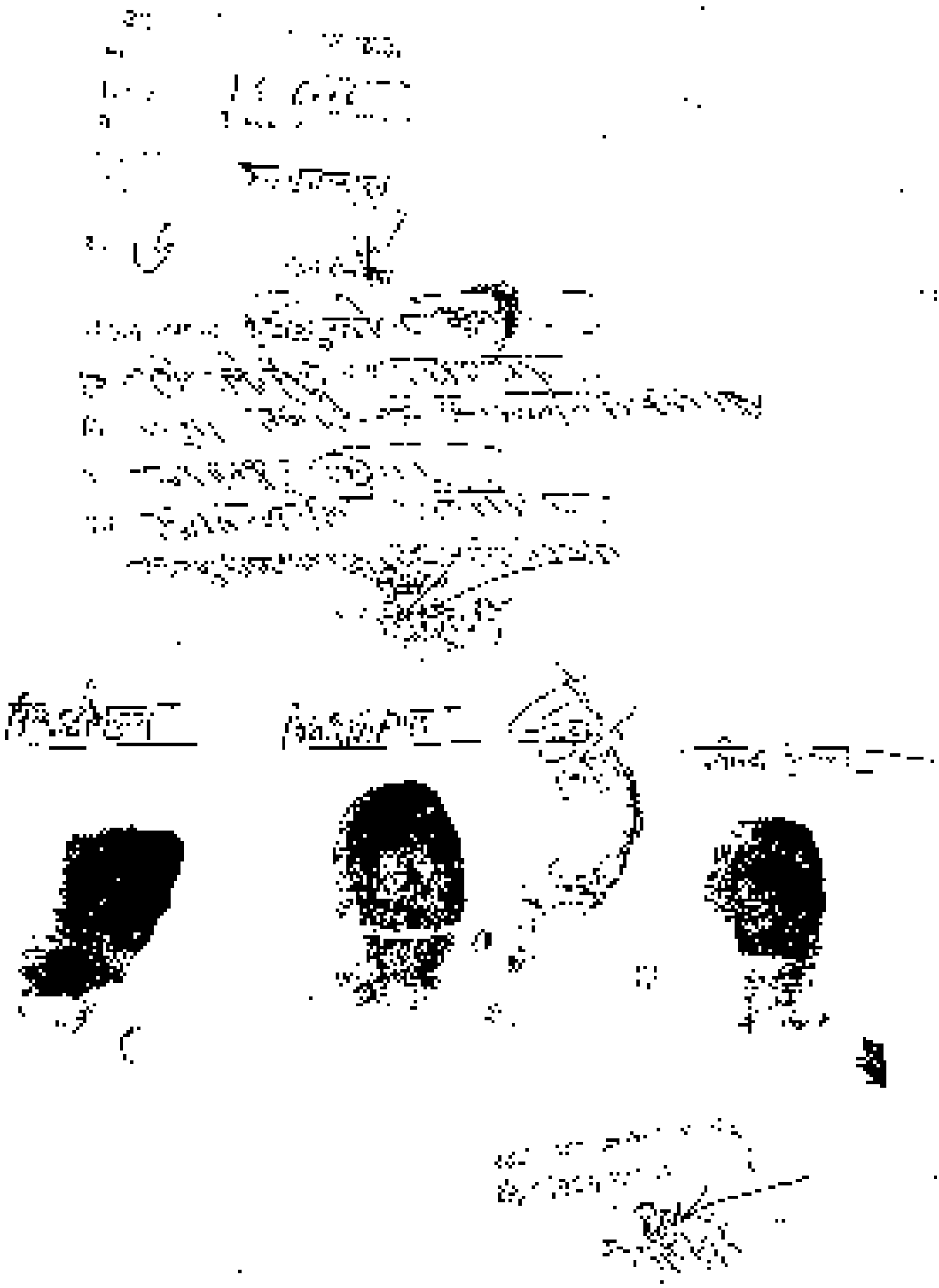

RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

प्रदेश UTTAR PRADESH

-2-

विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेतागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बेचा, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का लाभ,-

हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रू0 7,92,574/- (रुपया सात लाख बानबे हजार पाँच सौ चहत्तर रुपया) के प्रतिफल में विक्रेता के उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेतागण को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण नहीं स्वीकार करते हैं, तदानुसार अब विक्रेतागण उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया

1000Rs

१000रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

गया है, का गवाह बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को वसूली बना दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेतागण उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

एवं न ही कोई भाग कर सकेगा। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण होता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जावे तो ऐसा उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान व्यय हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेतागण एवं उसके वारिसान इत्यादि व खर्चा देने हेतु बाध्य होंगे।

1000Rs.

१०००रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-1-

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम करा लेता है तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय निलेख के पूर्व यदि अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम मुजफ्फर नगर पुहपवन, अर्बनगरीय क्षेत्र के निर्धारित ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रु० 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब

1000Rs

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

61326

3

से विक्रीत भूमि 0.382 हेक्टेयर की मालियत रु0 3,60,200/- होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 79,200/- अतिरिक्त स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मीटर के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से लगभग दो किलोमीटर व शहीदपथ से सौ मीटर से अधिक दूरी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

पर स्थित है। विक्रेतागण व क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निष्पादन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

भूमि आराजी 288 कुल रकबा 0.382 हेक्टेयर स्थित ग्राम मुजफ्फर नगर पुसपल, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिसकी चौहद्दी निम्न है।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

खसरा नं० 230

उत्तर : खसरा संख्या- 211, 237

दक्षिण : खसरा संख्या- 242, 243

पूर्व : खसरा संख्या- 239, 241

पश्चिम: खसरा संख्या- 228, 231

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

1. विक्रेतागण ने रा० 5,00,000/- (रुपया पाँच लाख मात्र मात्र) द्वारा चे० संख्या- 475723 दिनांकित 15.06.2006, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्राप्त किया।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 11 -

2. विक्रेतागण ने रु0 2,92,574/- (रुपये दो लाख बानवे हजार पाँच सौ चौहत्तर मात्र मात्र) द्वारा चेक संख्या- 45572 दिनांकित 13.06.2006, पंजाब नेशनल बैंक जिला से प्राप्त किये।

कुल विक्रय मूल्य विक्रेतागण को रु0 7,92,574/- (रुपये सात लाख बानवे हजार पाँच सौ चौहत्तर रुपये) क्रेता से प्राप्त हुए तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते हैं।

लिहाजा यह विक्रय पत्र हम विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में समस्त अधिकार अपना किसी और दावा के, व स्वत्व बिला द मन

की द्वारा में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

लखनऊ
दिनांक: 15.06.2006
गवाह
1.

Shri Kamal S/o Shri T.P. Singh
R/o 14 Vardhman Complex Rajendra Nagar

2.

श्री-[illegible]
[illegible]
लखनऊ

टाईपकर्ता

(राम सनेही)

विक्रेतागण

क्रेता

गवाहिदाता

(वेंकट राम सिंह)
एडवोकेट

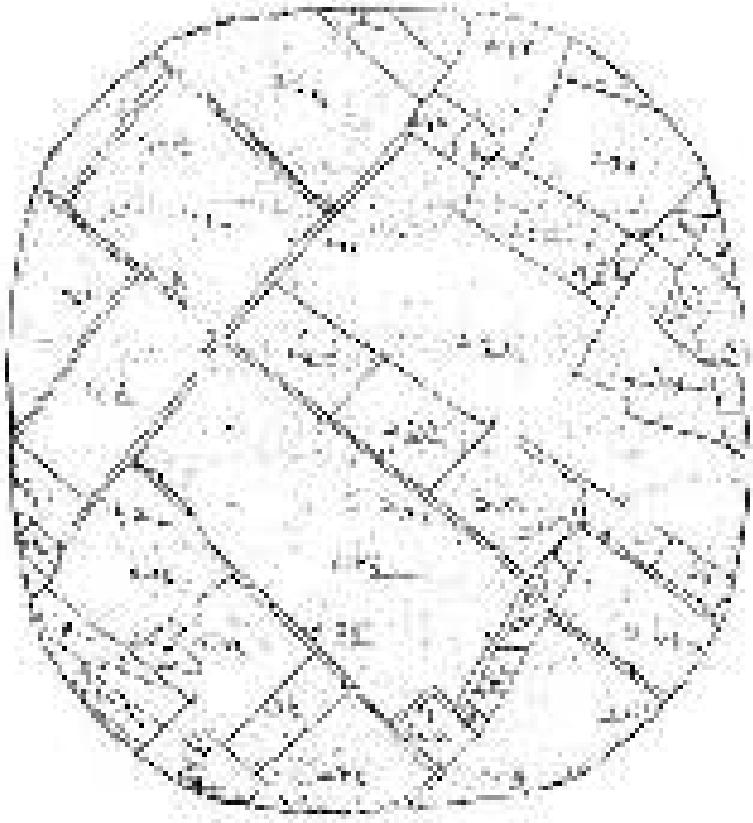

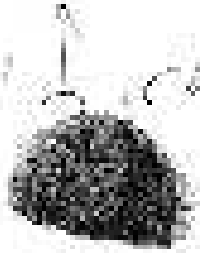

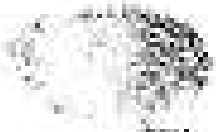

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा - 32 (3) के अनुपालन हेतु,

फिंगर प्रिन्टर्स

[illegible]

[illegible] के अंगूठा के निशान :-

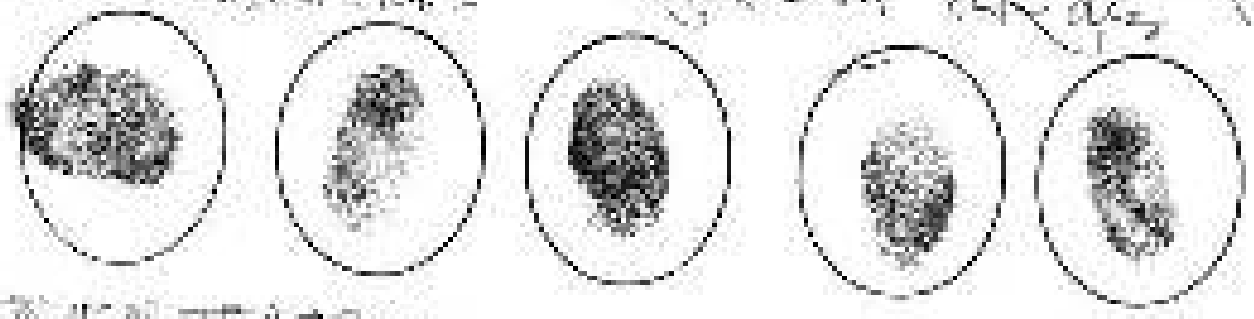

[illegible] के अंगुलियों के निशान :-

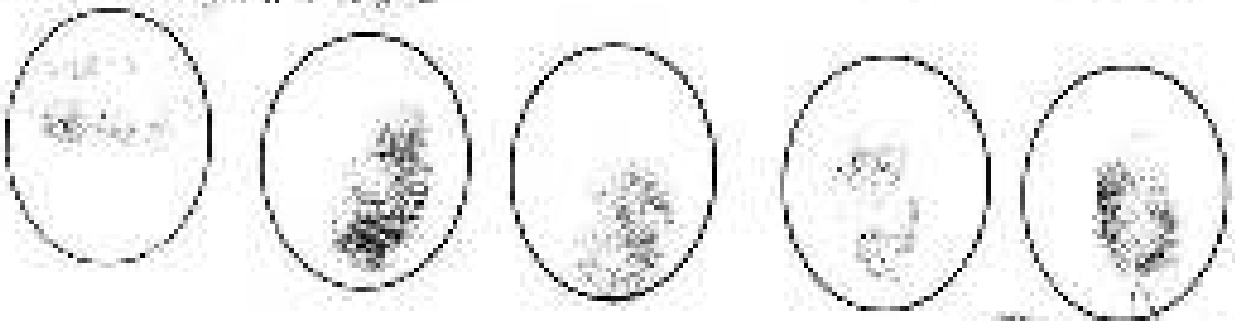

[illegible]

[illegible]

[illegible] के अंगूठा के निशान :-

[illegible] के अंगुलियों के निशान :-

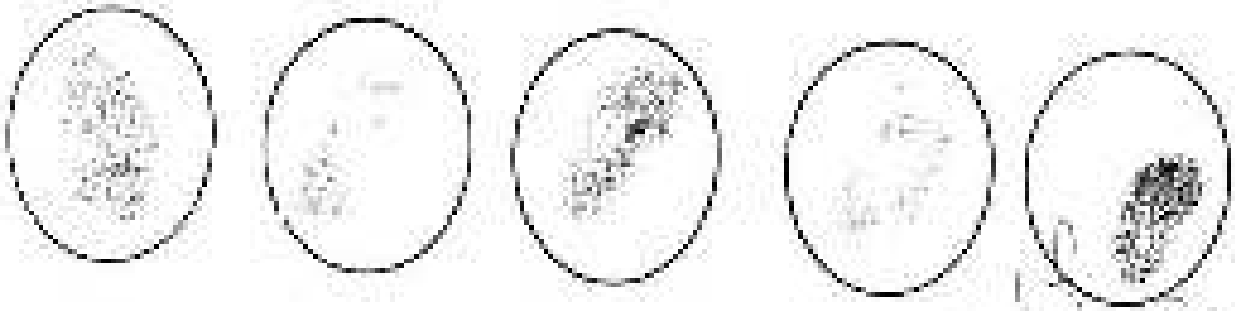

[illegible]

[illegible]